



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25072022-237425
CG-DL-E-25072022-237425

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3102]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 21, 2022/आषाढ़ 30, 1944

No. 3102]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 21, 2022/ASHADHA 30, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2022

का.आ.3262(अ).—केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन के लिए "कांडला गोरखपुर एल पी जी पाइपलाइन परियोजना" अनुभाग : प्रस्तावित पाइपलाइन पिपावाव से आई.एच.बी.लिमिटेड, दुमाड के क्रियान्वयन हेतु आई.एच.बी.लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए।

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, और जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना में युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियां साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के संबन्ध में सक्षम प्राधिकारी एवं प्रांत अधिकारी, वडोदरा (ग्रामीण), कांडला गोरखपुर एल पी जी पाइपलाइन परियोजना, आई.एच.बी.लिमिटेड जिला:- वडोदरा (गुजरात), को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

तहसील:- सावली	जिला:- वडोदरा		राज्य:-गुजरात		
मौजा / ग्राम	सर्वे / ब्लाक / सं. (प्लोट सं.)	सब-डीव-सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	आरे	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
पोइचा (रा)	नाला		00	00	06
	23		00	00	03
	कच्चा रास्ता		00	00	18
	159		00	01	87
	160		00	07	63
	161	1, 2/पैकी 1, 2/पैकी 2	00	02	45
	167	2	00	04	73
	176	2/पैकी 2	00	02	20
	175	1	00	04	83
	173	पैकी 1	00	02	69
	रोड़		00	00	70
	262	2	00	03	69
	261	अ/पैकी 1	00	04	76
	284	1/पैकी 1	00	01	69
	284	1/पैकी 2-नहेर	00	01	36
	284	2/पैकी 2-नहेर	00	01	26
	284	2/पैकी 1/पैकी	00	03	55
	285	पैकी 1	00	07	93
	रोड़		00	00	49
	342	पैकी 1	00	07	67
	345	3	00	05	42
	344	पैकी 1, पैकी 2	00	02	44
	364	पैकी 1, पैकी 2	00	01	15
	365	पैकी	00	06	29
	366	पैकी 1	00	06	85
	रोड़		00	00	45
	409		00	13	02
	425	पैकी 1	00	03	77
	426	पैकी 1	00	04	65
	427	पैकी 1	00	04	74
मोक्सी	282		00	02	53
	278		00	05	59
	281	1, 3/पैकी, 4&5	00	03	30
	277	1/पैकी, 2/अ, 2/ब	00	03	68
	276		00	03	68
	275	1 & 2	00	04	52
	270	1	00	03	09

	271		00	04	50
	272		00	00	12
	249		00	00	60
	248		00	03	49
	रोड़		00	00	72
	247		00	03	13

[फा. सं. आर-11025(15)/11/2019-ओआर-I/32563]

पी. सोमा कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th July, 2022

S.O. 3262(E).—Whereas, it appears to the Central Government, that it is necessary in the public interest that for the transportation of Petroleum Product from the State of Gujarat a pipeline should be laid for implementing Kandla -Gorakhpur LPG Pipeline Project, Section: - Pipavav to IHB Limited Dumad, under the IHB Limited.

And, whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land under which the said pipeline is proposed to be laid, and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person who is interested in the land described in the said Schedule may submit objection in writing to Competent Authority and Prant Officer, Vadodara (Rural), Kandla-Gorakhpur LPG Pipeline (KGPL), Dist.- Vadodara(GJ), within twenty one days from the date on which the copies of this notification issued under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India, are made available to the general public.

SCHEDULE

Tehsil: -Savli	District: - Vadodara		State: - Gujarat		
Mouja / Village	Survey/Block No.	Sub-Div-No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
Poicha (Ra)	Nala		00	00	06
	23		00	00	03
	Cart Track		00	00	18
	159		00	01	87
	160		00	07	63
	161	1, 2/P1, 2/P2	00	02	45
	167	2	00	04	73
	176	2/P2	00	02	20
	175	1	00	04	83
	173	P1	00	02	69
	Road		00	00	70
	262	2	00	03	69

	261	A/P1	00	04	76
	284	1P1	00	01	69
	284	1P2-Canal	00	01	36
	284	2P2-Canal	00	01	26
	284	2P1P	00	03	55
	285P1		00	07	93
	Road		00	00	49
	342	P1	00	07	67
	345	3	00	05	42
	344	P1, P2	00	02	44
	364	P1, P2	00	01	15
	365	P	00	06	29
	366	P1	00	06	85
	Road		00	00	45
	409		00	13	02
	425	P1	00	03	77
	426	P1	00	04	65
	427	P1	00	04	74
Moksi	282		00	02	53
	278		00	05	59
	281	1,3P,4&5	00	03	30
	277	1P,2/A, 2/B	00	03	68
	276		00	03	68
	275	1 & 2	00	04	52
	270	1	00	03	09
	271		00	04	50
	272		00	00	12
	249		00	00	60
	248		00	03	49
	Road		00	00	72
	247		00	03	13

[F. No. R-11025(15)/11/2019-OR-1/E-32563]

P. SOMA KUMAR, Under Secy.